न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 72/2017 तारीख रजू:– 27.09.2017

1 रामसिह पुत्र केशूराम जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली :– अपीलान्ट

बनाम

1 उपतहसीलदार उपतहसील बालघाट जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश अदालत उपतहसीलदार बालघाट व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामसिह मुकदमा नम्बर 79/17 तारीख 30.8.2017

निर्णय दिनांक 16.01.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील उपतहसीलदार बालघाट के निर्णय दिनांक 30.8.2017 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि निर्णय मे अंकित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है। इस भूमि के पास अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है कभी भी सरकारी भूमि पर अतिकमण नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना जॉच कराये ही यह रिपोर्ट पेश की है और अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच के ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को अतिकमी माना गया है किन्तु पत्रावली मे एसा कोई साक्ष्य नही है। अपीलान्ट अतिचार की क्षेणी मे नही आता है अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। अन्त मे अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट की वहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन अपील मीमो को दोहराते हुये और कहा कि मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नहीं सुना है एक पक्षीय सुनते हुए कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत नहीं है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की वहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 30.8.2017 को आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 0.20 है0 209 रवका 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.32 हैं0 चारागाह पर बाजरा काश्त करने पर अपीलान्ट/अतिकमी को बेदखल करते हुये तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्ड से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्टी को इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित

मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली का निर्णय दिनांक 30.8.2017 के तहत अपीलान्ट रामसिह पुत्र केशूराम जाति मीना निवासी ऐदलपुर को दी गई 90 दिवास की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
करौली